

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

Shrimati Anupriya Patel

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): On behalf of Shri Jagat Prakash Nadda, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2016-2017.

- Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (2)

[Placed in Library, See No. LT 9238/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2016-2017.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9239/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2016-2017.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9240/16/18]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (i) Review by the Government of the working of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2016-2017.
- (ii) Annual Report of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development

Corporation Limited, Port Blair, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9241/16/18]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9242/16/18]

(3) A copy of the Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.207(E) in Gazette of India dated 5th March, 2018 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 9243/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON
RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/03 in Gazette of India dated 13th March, 2018 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 9244/16/18]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

- (i) The National Savings Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.31(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.
- (ii) The National Savings (Monthly Income Account) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.32(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.
- (iii) The National Savings Time Deposit (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.34(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9245/16/18]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-

(i) The Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.29(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.

(ii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.30(E) in Gazette of India dated 17th January, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9246/16/18]

(4) A copy of the Notification No. G.S.R.33(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th January, 2018 notifying that the subscriptions made to the Public Provident Fund on or after the 1st day of January, 2018 and the balances at the credit of the subscribers shall bear interest at the rate of 7.6% per annum issued under Section 12 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 9247/16/18]

(5) A copy of the Notification No. G.S.R.28(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th January, 2018 notifying that the subscriptions made to the Sukanya Samriddhi Account on or after the 1st day of January, 2018 and the balances at the credit of the subscribers shall bear interest at the rate of 8.1% per annum, issued under sub-rule (1) of Rule 7 of the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 9248/16/18]

(6) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Security Printing and Minting Corporation of India Limited and the Ministry of Finance for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9249/16/18]

(7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

- (1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 5 of 2018) for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 9250/16/18]

- (2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 6 of 2018)-Performance Audit of National Projects, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for the year ended March, 2017.

[Placed in the Library, See No. LT 9251/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो)) पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9252/16/18]

- (2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गम और निकास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गम और निकास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा शर्तें और निबंधन तथा उनके संदेय वेतन और भत्ते) विनियम, 2017 जो 3 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 07(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- [Placed in Library, See No. LT 9253/16/18]
- (3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) यूको बैंक (अधिकारी)सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2017-18/470 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी)सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 9 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीओआई/एचओ/एचआर/आईआर/एमएसएस/एल-234 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 मार्च, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सिंडिकेट बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2016 जो 13 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 160/एसडब्ल्यूडी/पेंशन में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) ओरियेंटल बैंक आफ कामर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3950 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9254/16/18]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2017, जो 20 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सा.का.नि. 1527(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर (संशोधन) स्कीम, 2018, जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9255/16/18]

(5) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) का.आ. 821(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसमें उल्लिखित मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में 4-मिथाईलकैथीनॉन, इथाईलोन, पेन्टेड्रोन, इथाइलफैनीडेट, एमपीए एमडीएमबी-सीएचएमआईसीए, 5एफ-एपीआईएनएसीए, एक्सएलआर-11 और कैथा इडुलिस तथा साल्ट और उनकी सामग्रियों को अधिसूचित किया है, ताकि प्रवर्तन एजेंसियां इन पदार्थ के अवैध निर्माण/उपयोग/आवागमन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 882(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 823(अ) जो 27 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और निर्मितियों को विनिर्मित ओषधि घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9256/16/18]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 273(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 868 (अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) अधिसूचना सं. 18/2018-सी.शु. (एन.टी.) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) अधिसूचना सं. 19/2018-सी.शु. (एन.टी.) जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 1144 (अ) जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9257/16/18]

- (7) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत माल और सेवा कर निधियों का समाधान (संशोधन) नियम, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 145 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in the Library, See No. LT 9258/16/18]

- (8) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 271 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9259/16/18]

- (9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 270 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9260/16/18]

(10) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 266(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 267(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-वे बिल नियम के प्रभावशील होने की तारीख को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 268(अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल से जून, 2018 महीनों के लिए प्रारूप जीएसटीआर-3 ख भरने के लिए निर्धारित तारीखों को विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (4) के अंतर्गत सा.का.नि. 269 (अ) जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत 30.06.2018 तक कर संदाय से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9261/16/18]

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/02 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9262/16/18]

(12) राष्ट्रीय आवासन बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उप-धारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवासन बैंक, नई दिल्ली वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9263/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) :
माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय दंड चिकित्सक परिषद्, दंत शल्य चिकित्सा में परा-स्नातक पाठ्यक्रम (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी ई-87(1)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दंड चिकित्सक परिषद् (नये दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नये या उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू करना या प्रशिक्षण और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) (दसवां संशोधन) विनियम, 2018 जो 15 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22(10)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9264/16/18]

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दसवां संशोधन विनियम, 2017 जो 19 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मानक/एसपी (वाटर एंड बिवरेज)/अधि. (1)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन आफ फूड बिजनेसेज) पहला संशोधन विनियम, 2017 जो 31 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मानक/ओ एंड एफ/अधिसूचना(6)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9265/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9266/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2016-2017.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9267/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2016-2017.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9268/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R. 880(E) in Gazette of India dated 14th July, 2017.
- (ii) The Companies (cost records and audit) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1526(E) in Gazette of India dated 20th December, 2017.
- (iii) The Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.48(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2018.
- (iv) The Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.49(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2018.
- (v) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.51(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2018.
- (vi) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.155(E) in Gazette of India dated 12th February, 2018.
- (vii) The Companies (Authorised to Register) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.173(E) in Gazette of India dated 19th February, 2018.

- (viii) The Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.174(E) in Gazette of India dated 19th February, 2018.
- (ix) The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.175(E) in Gazette of India dated 19th February, 2018.
- (x) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.191(E) in Gazette of India dated 28th March, 2018.
- (xi) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.213(E) in Gazette of India dated 8th March, 2018.
- (xii) S.O.529(E) published in Gazette of India dated 5th February, 2018 regarding exemption to Government Companies under Section 129(6) of Companies Act, 2013 from recognizing Deferred Tax Assets/Deferred Tax Liability under AS-22/Ind AS-12..
- (xiii) S.O.802(E) published in Gazette of India dated 26th February, 2018 together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.
- (xiv) The Companies (Removal of Difficulties) Order, 2018 published in Notification No. S.O.768(E) in Gazette of India dated 22nd February, 2018.

Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (2) No. (i) and (ii) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9269/16/18]